

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 06/11/18

संचिका सं०-17/विविध 1-23/2018 - 440(17) स्वा० राज्य के छह चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में अंतरिम व्यवस्था के तहत तत्कालिक प्रभाव से नियमित पदस्थापन होने तक कॉलम-4 में अंकित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है-

क्र०स०	चिकित्सक/चिकित्सक शिक्षक का नाम/ पदनाम/ विभाग	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	डा० अतुल कुमार मल्लिक, प्राध्यापक-सह-विभागाध्यक्ष, एफ०एम०टी० विभाग	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा
2.	डा० राज रंजन प्रसाद, प्राध्यापक-सह-विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय।
3.	डा० डी० के० सिंह, प्राध्यापक-सह-विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।
4.	डा० सुनील कुमार शाही, उपाधीक्षक	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
5.	डा० चन्द्र शेखर, प्राध्यापक, कान, नाक एवं गला विभाग	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
6.	डा० विजय कृष्ण प्रसाद, प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया।	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।


- नवपदस्थापित अधीक्षकों को वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-9262 दिनांक-01.10.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 नियम-84 के अन्तर्गत उक्त संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।
- नवपदस्थापित अधीक्षकों को वित्तीय समस्याओं के निराकरण हेतु वित्तीय शक्ति नियमित पदस्थापन होने तक के लिए दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 1-23/2018 - 440 (17/पटना, दिनांक :- 06/11/18

- प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित जिलों के कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमंडलों के आयुक्त एवं संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी नव पदस्थापित अधीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (डा० कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01, 02, 08, 09 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


06/11/18

सरकार के अवर सचिव।